

संख्या: 149416 / XXIV-C-2 / 2023 / 06(02)2023

प्रेषक,

शैलेश बगौली,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड,

हल्द्वानी, नैनीताल।

उच्च शिक्षा अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक: 25 अगस्त, 2023

विषय: उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" संचालित किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त लिए गए निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत निम्नलिखित विवरणानुसार 'मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना' संचालित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है-

1. यह योजना "मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना" के नाम से जानी जाएगी।
2. इस छात्रवृत्ति हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रत्येक वर्ष (सत्र) के संस्थागत नियमित छात्र/छात्राएं पात्र होंगे।
3. मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत सत्र 2023-24 में अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को उक्त छात्रवृत्ति वितरण के साथ की जाएगी। यह छात्रवृत्ति सामान्यतया दो किश्तों में छात्र-छात्राओं को उपलब्ध करायी जाएगी।
4. स्नातक प्रथम वर्ष में प्रत्येक महाविद्यालय/राज्य वि०वि० परिसर के प्रत्येक संकाय में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्र-छात्राओं के 12वीं के परीक्षा परिणाम का परीक्षण किया जाएगा तथा ऐसे छात्र-छात्राओं, जिनके न्यूनतम 80 प्रतिशत प्राप्तांक/समतुल्य ग्रेड हों, में से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमशः धनराशि ₹3,000, ₹2,000 व ₹1,500 मासिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
5. प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में स्नातक स्तर पर अध्ययनरत् (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष-यथा लागू) छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष महाविद्यालय स्तर/विश्वविद्यालय परिसर स्तर पर पूर्ववर्ती वर्ष के परिणाम में न्यूनतम 60

प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः ₹3,000 (प्रथम स्थान), ₹2,000 (द्वितीय स्थान) तथा ₹1,500 (तृतीय स्थान) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।

6. स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के उपरान्त प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे छात्र-छात्राओं का चयन किया जायेगा, जिन्होंने अपने महाविद्यालय में संबंधित संकाय में, स्नातक स्तर पर (कुल 04 वर्ष/03 वर्ष के संकलित परिणाम के आधार पर) प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त किया हो, को क्रमशः ₹35,000, ₹25,000 व ₹20,000 एकमुश्त धनराशि प्रदान की जायेगी।

7. 02 वर्षीय पी0जी0 होने की दशा में पी0जी0 के अंतिम वर्ष में, प्रथम वर्ष के प्राप्त अंकों के आधार पर प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में विषयवार स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः ₹5,000 (प्रथम स्थान), ₹3,000 (द्वितीय स्थान) तथा ₹2,000 (तृतीय स्थान) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।

8. पी0जी0 के अंतिम वर्ष अथवा एकवर्षीय पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रत्येक महाविद्यालय/राज्य वि0वि0 परिसर में संबंधित विषयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र-छात्राओं को, जिन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, को एकमुश्त धनराशि ₹60,000, ₹35,000 व ₹25,000 दी जायेगी।

9. स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय (यथा लागू) वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्र-छात्राओं में से प्रत्येक महाविद्यालय/वि0वि0 के परिसर के प्रत्येक संकाय से 10 प्रतिशत उत्तीर्ण छात्र/छात्राएं, जो न्यूनतम 75 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक लाएंगे तथा जिनकी न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हो, को ₹1,500/- प्रतिमाह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। उक्त 10 प्रतिशत की सीमा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने वाले छात्र/छात्राओं से अलग होगी। यदि 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राएं 10 प्रतिशत से अधिक होंगे, तो ऐसी दशा में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले 10 प्रतिशत छात्र/छात्राओं का चयन किया जाएगा।

10. 10 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने हेतु तैयार की गई सूची में अन्तिम छात्र के समान प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

छात्रवृत्ति दिए जाने हेतु अनिवार्य अर्हताएं:-

1. छात्र/छात्रा द्वारा संबद्ध विश्वविद्यालय अथवा 12वीं की बोर्ड परीक्षा (स्नातक प्रथम वर्ष हेतु) के परीक्षाओं को छात्रवृत्ति दिए जाने से पूर्व बिना किसी अवरोध के उत्तीर्ण किया गया हो। अंक सुधार परीक्षा के उपरान्त प्राप्त अंकों को इस हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

2. छात्र/छात्रा की महाविद्यालय में अध्ययनरत पाठ्यक्रम अथवा विषय में न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति हो।

3. सत्र की गणना 1 जुलाई से 30 जून तक होगी और किसी भी सत्र के उक्त अवधि तक ही छात्रवृत्ति देय होगी। चयनित छात्र/छात्रा को संबंधित सत्र के 12 माह की

गणना (1 जुलाई से 30 जून) के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।

4. प्रत्येक सत्र हेतु छात्रवृत्ति की गणना विगत वर्ष के प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी तथा उपस्थिति की गणना अध्ययनरत् सत्र में उपस्थिति के आधार पर होगी। उदाहरण के रूप में यदि कोई छात्र सत्र 2023-24 में बी0ए0 प्रथम वर्ष में प्रवेश लेता है तो उसे इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तथा सत्र 2023-24 में उपस्थिति के आधार पर पात्रता तय होगी। इस प्रकार सत्र 2023-24 में बी0ए0 द्वितीय वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के प्रथम वर्ष के प्राप्तांक के आधार पर उनकी पात्रता निर्धारित की जाएगी।

5. छात्रवृत्ति की गणना वास्तविक प्राप्तांकों के आधार पर की जाएगी। दशमलव अंक में अर्जित प्राप्तांक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा।

6. एक समान प्राप्तांक की दशा में उस संबंधित स्तर पर (प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान पर) समस्त छात्र-छात्राओं को अनुमन्य छात्रवृत्ति ही प्राप्त होगी।

7. उपस्थिति की प्रक्रिया हेतु समय-समय पर शासन एवं निदेशालय के निर्देश मान्य होंगे।

8. छात्रवृत्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि छात्र/छात्रा के विरुद्ध महाविद्यालय द्वारा अथवा किसी विधि संगत संरचना द्वारा कोई अनुशासनात्मक/विधिक कार्यवाही न की गयी हो।

9. छात्र/छात्रा को राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था से संस्थागत विद्यार्थी के रूप में प्राप्त किसी अन्य छात्रवृत्ति की दशा में यह चयन करने का अधिकार होगा कि वह कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहता है। कोई भी छात्र-छात्रा एक ही वर्ष में राज्य सरकार से एक से अधिक प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं लेगा।

आवेदन, सूची प्रकटीकरण एवं वितरण:-

1. छात्रवृत्ति हेतु छात्र-छात्राओं को समर्थ पोर्टल पर अपना पंजीकरण करते हुए आवेदन करना अनिवार्य होगा, जिसके लिए संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए आवेदन कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

2. छात्र-छात्राओं द्वारा पंजीकरण के उपरान्त समर्थ पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई सूचना का संबंधित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के समर्थ नोडल एवं प्राचार्य/कुलसचिव द्वारा प्रमाणीकरण एवं पुष्टि करना अनिवार्य होगा।

3. अध्ययनरत् सत्र हेतु छात्र-छात्राओं को नियत समय के भीतर आवेदन किया जाना अनिवार्य होगा।

4. छात्रवृत्ति अनुमन्यता के आधार पर संबंधित पाठ्यक्रम/कोर्स के प्रत्येक वर्ष के लाभार्थी छात्र-छात्राओं की सूची महाविद्यालय द्वारा आधिकारिक वेबसाइट एवं सूचना पटल पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाएगा।

5. संस्थागत छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति के संबंध में किसी भी प्रकार की आपत्ति लिखित रूप में प्राचार्य के समक्ष लाभार्थी छात्र/छात्राओं की सूची आधिकारिक वेबसाइट/सूचना पटल पर प्रदर्शित होने के अधिकतम 07 दिनों के अंदर देना होगा।

6. आपत्ति निस्तारण के पश्चात समर्थ पोर्टल आवेदन हेतु/संशोधन हेतु पुनः खोला

49416/2023

जाएगा।

7. आपत्ति पर विचार करते हुए महाविद्यालय द्वारा पुनः सम्यक परीक्षण/पुष्टि कर अंतिम सूची अग्रसारण प्रमाणपत्र के साथ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा छात्रवृत्ति अनुमन्यता के आधार पर गणना करते हुए, लाभार्थी छात्र-छात्राओं की सूची पूर्ण विवरण सहित मांग/प्रस्ताव निदेशालय को अंतिम तिथि के पश्चात अधिकतम 07 दिनों के अंदर प्रेषित किया जाएगा। निदेशालय द्वारा उक्त प्रस्ताव के आधार पर छात्रवृत्ति वितरण हेतु आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

8. छात्रवृत्ति हेतु आपत्ति की सुनवाई प्राचार्य/परिसर निदेशक/कुलसचिव की अध्यक्षता में गठित त्रिस्तरीय समिति द्वारा किया जाएगा। समिति में दो अन्य सदस्य महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर के वरिष्ठतम सदस्य होंगे। समिति के निर्णय के विरुद्ध निदेशक, उच्च शिक्षा के समक्ष अपील का अधिकार होगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

9. छात्रवृत्ति हेतु अंतिम सूची के प्रकाशन के पश्चात यदि लाभार्थी द्वारा किन्हीं कारणों से छात्रवृत्ति नहीं ली जाती है तो उसे अगले क्रम में अग्रसारित नहीं किया जाएगा।

10. छात्रवृत्ति की राशि सीधे छात्र-छात्राओं के दिए गए बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा। लाभार्थी छात्र-छात्राओं को प्रमाणपत्र भी वितरित किया जाएगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में राजस्व पक्ष के लेखाशीर्षक 2202-सामान्य शिक्षा 03-वि0वि0 तथा उच्चतर शिक्षा 103-राजकीय कॉलेज एवं संस्थान-25-राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य वि0वि0 परिसरों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति 45-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: I/147413/2023(M0)/XXVII(3)2023, दिनांक: 18 अगस्त, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

Signed by Shailesh
Bagauli

भवदीय,

Date: 25-08-2023 13:34:39 (शैलेश बगौली)

सचिव।

संख्या: 49416/XXIV-C-2/2023/06(02)2023, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-महालेखाकार (ऑडिट),उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3-निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 6- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

49416/2023

- 7-समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा।
- 8-निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड।
- 9- अनुभाग अधिकारी, वित्त अनु0-3/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 10-संयुक्त निदेशक, उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 11- अनुभाग अधिकारी, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, 3 एवं 4 उत्तराखण्ड शासन।
- 12- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Byomkesh Dubey
Date: 25-08-2023 17:05:27
(Byomkesh Dubey)
उप सचिव।